न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर
रसद प्रार्थना पत्र संख्या 39/2008

राजस्थान सरकार जरिये श्री कन्हैयालाल प्रवर्तन निरीक्षक निरीक्षक किशनगढ

.....प्रार्थी .....

बनाम

1. मैसर्स ममता फलोर मिल्स चमडाधर मदनगंज किशनगढ
2 प्रो0 कमलकिशोर पुत्र रामस्वरूप राठी ममता फलोर मिल्स चमडाधर मदनगंज किशनगढ।

.....अप्राथीगण..

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित ;.... 1. श्रीमती रेणुका चर्तुवेदी पेरोकार सरकार
2.श्री पी.एस., जिनेश सोनी,उत्तम गुरूबक्षानी अभिभाषक अप्रार्थी0

आदेश दिनांक 28.6.2017

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनाक 26.3.2008 को उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के निर्देशानुसार प्रार्थी द्वारा मय पुलिस जाप्ता अप्रार्थी की फर्म की जाचं की गई। अप्रार्थी द्वारा भारतीय खाध निगम डिपो किशनगढ से जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली व सम्पूर्ण ग्रामीण विकास योजनाओं का गेहूँ कालाबाजारी से खरीद किया जाकर उसका आटा बनाकर बेचा जाना पाये जाने पर मौके से 882.80 क्विटंल गेहूँ व उक्त गेहूँ से बनाया गया 41.20 क्विटंल आटा पेकिगंस व भारतीय खाध निगम से जारी गेहूँ का खाली वारदाना वजह सबूत कब्जे राज लिया गया। अप्रार्थी का कृत्य राजस्थान खाधान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों का उल्लधन पाया जाने से प्रार्थी द्वारा उक्त सामग्री को राजसात करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाद सुनवाई उभय पक्ष, आदेश दिनांक 11.9.2009 से स्वीकार किया जाकर कब्जे राज लिया गया गैहूँ व आटा को राजसात किये जाने के आदेश दिये गये।

अप्रार्थीगण द्वारा इस आदेश की अपील न्यायालय जिला न्यायाधीश, अजमेर को प्रस्तुत की गई, जो आदेश दिनांक 8.6.2010 से स्वीकार की जाकर इस न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 11.9.2009 को अपास्त किया जाकर प्रकरण जिला कलक्टर, अजमेर को इस आदेश व निर्देश के प्रतिप्रेषित किया गया कि वे दोनों पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर देते हुए प्रकरण को नये रूप से विधिवत रूप से निस्तारण करें। दोनो पक्षों को जिला कलक्टर न्यायालय में दिनांक 21.6.2010 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। पत्रावली मय आदेश इस न्यायालय को प्राप्त होने पर मान0 जिला न्यायाधीश के आदेशानुसार सुनवाई हेतु नियत की गई। अप्रार्थी साक्ष्य हेतु कमलकिशोर पुत्र रामस्वरूप राठी निवासी मदनगंज किशनगढ के बयान मय फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। तत्पश्चात उभय पक्ष द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार द्वारा अपनी प्रस्तुत लिखित बहस के तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि अप्रार्थी मैसर्स ममता फ्लोर मिल्स, चमडाघर, किशनगढ के प्रो0 कमलकिशोर राठी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गैहूँ जो नागौर व जयपुर जिले की कुछ तहसीलों को दिनांक 25.3.2008 को भेजा गया उनमें से भारी मात्रा में गैहूँ खरीदा जाकर उसका आटा बनाकर उँची बाजार दरों में खुले बाजार में बेचा जा रहा था जो पुलिस जाप्ता के साथ प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा बाद जांच

28/06/17
जिला कलक्टर
अजमेर

अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल से जप्त कर आवश्यक वस्तुत अधिनियम की धारा 6 ए के तहत राजसात करने हेतु प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। वक्त जॉच अप्रार्थी द्वारा जप्त गैहूँ के बाबत कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया गया एवं ना ही कोई कय रजिस्टर ,स्टॉक रजिस्टर, विकय रजिस्टर या गैहूँ खरीद के बिल प्रस्तुत किये गये। जॉच कार्यवाही, फर्द जप्ती, फर्द सुपुर्दगी में अप्रार्थी तथा अन्य स्वतंत्र गवाहान व पुलिस जाप्ता कार्मिकों के हस्ताक्षर करवाये गयें है जो पर्याप्त साक्ष्य है। अतः प्रकरण में और कोई साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसीसे जाहिर है कि मौके पर पकडा गया गैहूँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विभिन्न योजनान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम से जारी होने वाला गैहूँ था। प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने बाबत तत्तकालीन प्रर्वतन निरीक्षक से दुरभाष पर सम्पर्क किया गया, परन्तु सम्पर्क नही हो पाया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य पर्याप्त है। मौके से भारतीय खाद्य निगम के मार्का एवं सिलाई किये गये गैहूँ के कट्टे पकडे गये है तथा जॉच कार्यवाही दौरान मिल मालिक द्वारा सबूत नष्ट करने की भी कोशिश की गई। पुलिस जाप्ता की मौजूदगी में अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल से भारतीय खाध निगम से जारी किया गया गेहूँ व खाली वारदाना मिला जिसके बारे में अप्रार्थी मालिक द्वारा बताया गया कि कल ही भारतीय खाध निगम से पी डी एस व ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु जारी गेहूँ खरीद कर पिसाई किया गया तथा 500 खाली कट्टे वारदाना 12/– प्रति कट्टे की दर से कमल बारदाना बालाजी मंदिर के सामने पेच वाले को बेचा जाना स्वीकार किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा पी डी एस व सम्पूर्ण ग्रामीण विकास योजनाओं का गेहूँ राशन डीलरों से मिली भगत करके आटा पिसाकर ऊँची दरों पर बाजार में बेचा जाकर कालाबाजारी, मुनाफाखेारी की गई है। अप्रार्थी का यह कृत्य अवैधानिक तथा राजस्थान खाधान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय का नियंत्रण) आदेश 1976 का उल्लधंन तथा धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है। अतः मौके पर कब्जे राज लिये गये गेहूँ 882.80 क्विटल तथा आटा 41.20 क्विटंल व वारदाना को राजसात करने के आदेश फरमाये जावे। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

वकील अप्रार्थी0 ने अपने लिखित बहस के तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा सावर्जनिक वितरण प्रणाली के तहत विकय किये जाने वाला गेहूँ नहीं खरीदा है बल्कि विभिन्न थोक व्यवसायियो से माल कय किया है। जाचं अधिकारी को मौके पर विकेताओं के बिल तथा स्टाक रजिस्टर का अवलोकन करा दिया गया था व फोटो प्रतियां भी उपलब्ध करा दी गई थी परन्तु प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अप्रार्थी का गेहूँ व आटा विधि विरूद्व तरीके से जप्त कर लिया गया है। भारतीय खाध निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी होने वाले गेहूँ का वारदाना खुले बाजार में संबधित दुकानदारों द्वारा विकय किया जाता है तथा उस वारदाने में ही मंडियों में किसानों द्वारा गेहूँ व अन्य जिन्सों का विकय किया जाता है। अतः केवल वारदाने के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि गेहूँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विधि विरूद्व एवं सारहीन होने से खारिज होने योग्य है। बहस जारी रखते हुए अभिभाषक अप्रार्थी ने आगे कथन किया कि मान0 जिला न्यायाधीश, अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 8.6.2010 से प्रार्थी की अपील स्वीकार कर इस न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 11.9.2009 को अपास्त करते हुए प्रकरण जिला कलक्टर, अजमेर को इस आदेश व निर्देश के प्रतिप्रेषित किया गया कि वे दोनों पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर देते हुए प्रकरण को नये रूप से विधिवत रूप से निस्तारण करें। इसके बावजूद प्रार्थी द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई एवं ना ही अप्रार्थी0 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से जिरह की गई है। अप्रार्थी स्वयं रजिस्टर्ड डीलर है तथा जिला रसद अधिकारी द्वारा उनको RTA लाईसेन्स जारी होने के बावजूद अप्रार्थी को किसी प्रकार का कोई नोटिस भी जारी

जिला कलेक्टर
अजमेर

नहीं किया गया। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में न्यायहित में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। माननीय जिला न्यायाधीश, अजमेर के आदेश/निर्देशानुसार उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। प्रार्थी द्वारा लिखित बहस में व्यक्त तथ्यों को ही साक्ष्य में ग्रहण किया जाना जाहिर किया गया तथा अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य में स्वंय का लिखित बयान प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थना पत्र तथ्यों को नकारते हुए स्वयं को थोक विक्रेता बताते हुए राजस्थान के थोक विक्रेताओं से गैहूँ खरीद कर उसे साफ करवा कर उसका आटा तैयार करवा कर थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को किया जाना अवगत करवाया गया। जबकि प्रार्थी द्वारा पुलिस जाप्ता की उपस्थिति में अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल पर जाचं कार्यावाही दौरान मौके से भारतीय खाद्य निगम के मार्का एवं सिलाई किये गये गैहूँ के कट्टे तथा खाली बारदाना कब्जे राज लिया गया है। दौराने कार्यवाही मिल मालिक द्वारा सबूत नष्ट करने की कोशिश किया जाना, पुलिस जाप्ता की मौजूदगी में अप्रार्थी द्वारा भारतीय खाध निगम से पी डी एस व ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु जारी गेहूँ खरीद कर पिसाई किया जाना व 500 खाली कट्टे बारदाना 12/– प्रति कट्टे की दर से कमल बारदाना वाले को बेचा जाना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों एवं गवाहों के बयान के विवेचन से अप्रार्थी द्वारा पी डी एस व सम्पूर्ण ग्रामीण विकास योजनाओं का गेहूँ राशन डीलरों से मिली भगत करके आटा पिसाकर ऊँची दरों पर बाजार में बेचा जाकर कालाबाजारी, मुनाफाखोरी किया जाना साफ जाहिर है। अप्रार्थी का यह कृत्य अवैधानिक तथा राजस्थान खाधान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय का नियंत्रण) आदेश 1976 का उल्लधंन तथा धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौके पर कब्जे राज लिये गये गेहूँ 882.80 क्विंटल तथा आटा 41.20 क्विंटल व बारदाना को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। चूंकि उक्त कब्जे राज लिया गया गेहूँ व आटा जिसका अन्तरिम निस्तारण इस न्यायालय के विविध प्रार्थनापत्र संख्या 08/08 दिनांक 21.5.2008 द्वारा किया गया है, जिला रसद अधिकारी, अजमेर तदनुसार अन्तिम निस्तारण कर, प्राप्त रशि नियमानुसार राज्य कोष में जमा करावे।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 28.06.2017 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

28/06/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर
अजमेर